संख्या 1074 /54–1–11/8(11)/2011

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1– **आयुक्त एवं प्रशासक,**
शारदा सहायक समादेश परियोजना,
23 सी , गोखले मार्ग,
लखनऊ।

2– **अध्यक्ष एवं प्रशासक,**
रामगंगा कमाण्ड परियोजना,
117/एच–2/ 193 पाण्डुनगर,
कानपुर ।

3– **समस्त मण्डलीय उपनिदेशक,**
भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश ।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 **लखनऊ दिनांक 19 अक्टूबर, 2011**

विषय–समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम **(आईडब्ल्यूएमपी)** के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में स्वीकृत प्रथम बैच की परियोजनाओं का मूल्यांकन कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

भारत सरकार , ग्रामीण विकास मंत्रालय , भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रदेश के जनपदों हेतु समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत परियाजनायें स्वीकृत की गयी है । भारत सरकार द्वारा निर्गत वाटरशेड परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार परियोजनाओं का त्रिस्तरीय मूल्यांकन कराया जाना है । परियोजनाओं का प्रथम मूल्यांकन परियोजनाओं की लागत का 20 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात् किया जायेगा जिसके लिए पैरामीटर्स की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । मूल्यांकन कार्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान , बक्शी का तालाब लखनऊ , तथा नेशनल रिसर्च सेन्टर फार एग्रो फारेस्ट्री, झॉसी से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । मूल्यांकन कार्य में हुये पारिश्रमिक का भुगतान उक्त संस्थाओ को भारत सरकार के डीपीएपी/ आईडब्ल्यूडीपी के मूल्यांकन हेतु निर्धारित मानको के अनुसार आईडब्ल्यूएमपी हेतु गठित स्टेट लेविल नोडल ऐजन्सी(एसएलएनए) के स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार के आदेश की प्रति संलग्न है ।

इस सबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा उनके सम्मुख अंकित जनपदों में स्वीकृत आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं का मूल्यांकन कार्य किया जायेगा। संबंधित भूमि संरक्षण अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह संस्थाओं के संबंधित विभागों से सम्पर्क करके वर्ष 2009–10 में स्वीकृत परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रत्येक दशा में दिनांक 5.11.2011 तक पूर्ण करायें यदि कोई संस्था मूल्यांकन कार्य करने में असमर्थ है तो उसे शासन के संज्ञान में लाने का कष्ट करें । मूल्यांकन रिपोर्ट की दो प्रतियॉ तथा मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता बिल की दो प्रतियॉ मुख्य कार्यकारी अधिकारी , स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायेगें ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदो के परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु पूर्व में, (1) सचिव एवं निदेशक इस्टीटयूट फार एप्लाईड रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्डट इन्दिरानगर लखनऊ, (2) अध्यक्ष कृषि प्रसार एवं ग्राम्य विकास समिति आलमबाग लखनऊ तथा (3) श्री एन0एस0 धामा उपायुक्त (से0नि0) भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश निर्गत किये गये है। इन संस्थाओं द्वारा जिन परियोजनाओं का मूल्यांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तो उनका पुनः मूल्यांकन नही किया जायेगा।

क्रम सं0	संस्था का नाम	मूल्यांकन करने हेतु आवंटित जनपद
1.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौधौगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरेया,फर्रूखाबाद,कन्नौज,अलीगढ़,हाथरस,तथा एटा।
2.	नरेन्द्रदेवकृषि एवं प्रौधोगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज,फैजाबाद।	फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर तथा श्रावस्ती।
3.	सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौघोगिक विश्वविद्यालय मेरठ ।	मेरठ,बागपत,बुलन्दशहर,सहारनपुर,मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद,ज्योतिबाफुलेनगर, रामपुर तथा बिजनौर।
4.	वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी ।	वाराणसी, चन्दौली,जौनपुर,गाजीपुर, आजमगढ़ बलिया तथा मऊ।
5.	नैनी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नैनी, इलाहाबाद	इलाहाबाद,कौशाम्बी,फतेहपुर,प्रतापगढ़,मिर्जापुर, संतरविदासनगर, सोनभद्र,बांदा,चित्रकूट,हमीरपुर तथा महोबा।
6.	उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद गोमती नगर, लखनऊ ।	लखनऊ, हरदोई,लखीमपुरखीरी,रायबरेली,सीतापुर उन्नाव,बरेली,बदायू, पीलीभीत, तथा शाहजहॉपुर।
7.	राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, इन्दौराबाग, बक्शी का तालाब, लखनऊ ।	बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, तथा कुशीनगर।
8.	नेशनल रिसर्च सेन्टर फार एग्रो फारेस्ट्री, ग्वालियर रोड झॉसी	आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी,मथुरा, झांसी, जालौन तथा ललितपुर।

संलग्नक–यथोपरि ।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव ।

संख्या 1074 (1)/54–1–11/8(11)/2011–तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को संलग्नक सहितसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– समस्त जिलाधिकारी, (जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, काशीराम नगर, को छोड़कर,) उत्तर प्रदेश ।

2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी,(जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर तथा काशीनगर को छोड़कर) उत्तर प्रदेश।

3. कुलपति चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्राधौगिक विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. कुलपति नरेन्द्रदेवकृषि एवं प्रौधोगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज,फैजाबाद।
5. कुलपति सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौघोगिक विश्वविद्यालय मेरठ ।
6. कुलपति वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी ।
7. कुलपति नैनी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नैनी, इलाहाबाद।
8. निदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,गोमती नगर, लखनऊ।
9. महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, इन्दौराबाग, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
10. निदेशक, नेशनल रिसर्च सेन्टर फार एग्रो फारेस्ट्री, ग्वालियर रोड झाँसी
11. गार्ड फाइल।

संलग्नक–यथोपरि ।

आज्ञा से,

(संजय कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

No. K-11011/61/94-M&E
Government of India
Ministry of Rural Areas and Employment
Department of Wastelands Development
****

NBO Building, G-Wing
Nirman Bhawan, New Delhi-110011.

Dated the 16th July, 1998

Order

Subject:-Honorarium to Consultants/Evaluators/Assessors/Monitors.

In supersession of this Dppartments order of even number dated 3rd December, 1997 governing the payment of honorarium to Consultants/Evaluators/Monitors, it has now been decided to revise /restrict the existing rates of honorarium in the following manner:-

A-PROJECTS UNDER IWDP SCHEME:- The payment of honorarium shall be @ Rs.1000/- per day & restricted to Rs. 12,000/-for one spellof visit. Regarding field visit, the evaluator/ Consultant/Monitor/assessor shall be entitled to claim one day each for at least 300 ha. of treated watershed or part there of. A part from field visit, he will be entitled to have one day for report writing within the over-all cellihg of 12 days for one spell of visit.

B- PROJECTS UNDER NGO's/TE/IPS SCHEME:- The payment of honorarium shall be @ Rs. 1,000/- per day & restricted to Rs.4000/- for the visit. The field visit should be completed within a maximum period of 4 days in one spell.The Evaluator/Assessor/Monitor shall be entitled to claim 1 day for visiting /inspecting 50 ha. area of part thereof. He will also be entitled to claim one day for report writing within the over all ceilling of 4 days per spell.

2. These rates of remuneration will be paid on lump-sum basis which will include all the expenses like honorarium, Stationery, Report writing, secretarial assistance and all other miscellaneous charges etc.

3. TA/DA will be paid on actual basis but would be restricted to rail fare, Ist class or 2nd AC Two-tier as applicable to non-official members. Only one time to and fro travelling allowance will be admissible for the evaluation of a project. Where the places are not connected by rail, the mileage as permissible uhder

..2/..

the Government of India rules woul d be permissible. In some urgent cases, looking to the status and experience of the evaluator, as well as remoteness of the area, air travel permission can also be granted, provided that the distance involved is not less than 500 Kms. and the journey can not be performed over night by train. But this will only be in exceptional cases and prior approval from the Department would be nessessary in such a case.

4. Various activities which have to be evaluated are:- raising of appropriate species (Nursery.work) in appropriate proportion, selection of right site for development, compatible methodology or technique used for earth work (quality and quantity), plantation of various species according to need of the area (extent of area covered), suitability and spacing of species planted, growth and proportion, survival of success of work undertaken, extent of people's involvement in all these activities to wards integrated sustainable development of that area and assessment of capability and overall performance of implementing agency, proper utilisation of funds and maintenance of proper records, thereof etc. In case of soil and moisture conservation works assessment on extent of erosion control measures, appropriate feasible & suitable construction compatibility of such structures with terrain and final impact assessment of project in that area including social and behavioural aspects should be undertaken.

5. The expenditure towards payment of honorarium and TA will be booked under:-

Demand No.	: 74
Major Head	: 2501-Spl. Programmes for Rural Development.
Minor Head	: 05.101-National Waste Land Development programme.
Sub-Minor Head	: 01.03-Appraisal, Monitoring & Evaluation.
Object Head	: 01.03.28-Professional Services. 1998-99.

6. This issues with the approval of AS & FA (RD-WD) vide U.O.No. 912/AS & FA/98 dated 3rd July, 1998.

..3/..

The revised rates of honorarium will be effective from the date of issue of this order.

Sd./-
(KULDIP RAI)
JOINT SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

DISTRIBUTION-

1. PS to Minister (RA &E).
2. PS to Secretary (RD-WD)
3. PAO, M/o RA&E, Krishi Bhawan, New Delhi.
4. DIGF (D.I) DIGF(VA)/DIR(TE)/US(Monitoring)
5. All evaluators/DDO/Cash Section/Guard File.

(R)